न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम(अलवर)

प्रार्थना पत्र संख्याः–41/18

रचना देवी बनाम कर्णसिंह

03.04.2018

प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। प्रार्थी वकील के द्वारा आज अप्रार्थीगण की तलबी के तलबाने की रजिस्ट्रर्ड रसीद पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई, सुविधा का सन्तुलन एव ना पूर्ति होने वाली क्षति की सम्भावना प्रार्थी के हक मे प्रतीत होती है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 02/05/18 तक इस अमर से जारी की जाती है कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 500/4–00, 444/4–15 बीघा वाके ग्राम जकोपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर का जब तक तकासमा ना हो जाये तब तक कही दीगर जगह रहन –बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थिया के हिस्सो के कब्जा काश्त मे मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना निर्माण कार्य करे राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे, ना ही अप्रार्थी सं08 विवादित आराजीयात की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात पंजिबद्ध व तस्दीक करे। जो भी उज्र हो हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 02/05/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

2/5/18 पत्रावली पेश हुई। [illegible] फरीकेन उप।
आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदा0
मे दिनांक 23.5.18 को पेश हो।

एस डी ओ/ ~~तहसीलदार~~

रचना देवी
P.d by
[signature]

23/5/18 वादिया (प्रार्थिया) की प्रार्थना पत्र पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया ने [illegible] कैम्प कोर्ट [illegible] में पेश हुई [illegible] राजीनामा [illegible] किया गया [illegible] पत्रावली [illegible] होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	श्री ....पवन यादव........ एडवोकेट प्रार्थना पत्र बउनवान ....रचनादेवी बनाम करणसिंह........ राजस्व अहलमद प्रकरण की जांच कर वांछित रिपोर्ट करें। हस्ता. पीठासीन अ.

श्रीमान जी

प्रस्तुत प्रकरण की जांच की गई। रिपोर्ट निम्न प्रकार है :-

1. ✓ दावा / प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकारी में पेश है।
2. ✓ दावा / प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कोर्ट फीस लगी है।
3. ✓ दावा / प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद पेश है/ अन्दर मयाद पेश नहीं किया है।
4. ✓ दावा / प्रार्थना पत्र के साथ सम्मन तलवाना / नोटिस तलवाना पूर्ण रूप से पेश है या नहीं पेश है।
5. ✓ प्रार्थी ने प्रकरण के साथ नवीनतम जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति अथवा नवीनतम पास बुक की प्रमा... संलग्न की है या नहीं की है।
6. ✓ प्रार्थी ने इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है या नहीं किया है कि जिस जमाबन्दी के आधार पर यह ... प्रस्तुत कर रहा है बाद में भूमि अथवा इसके भाग का बेचना अन्य किसी व्यक्ति को नहीं किया गया है
7. ✓ दावे / प्रार्थना पत्र के प्रत्येक पेज पर वादी / प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशानी अंकित है / अंकित नहीं
8. दावा धारा ~~53~~ 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश है और सभी सहखातेदारो के आवश्यक पक्षकार बनाया है या नहीं।
9. दावा / प्रकरण राज्य सरकार अथवा जिला कलैक्टर महोदय के विरुद्ध है तो क्या नियमानुसार नोटिस दिया गया है या नहीं।
10. प्रकरण में विवादित भूमि शहरी क्षेत्र की राजस्व भूमि है तो नगरपालिका को पक्षकार बनाया है या नहीं।
11. प्रकरण किसी पंजीकृत विलेख को निरस्त करने से सम्बन्धित है।
12. दावा / प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि को विक्रय करने का अनुबंध (Agreement to sale) हो चुका है या नहीं।
13. दावा / प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि स्थानीय निकाय के क्षेत्र में स्थित है और राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 90 (बी) के अन्तर्गत आबादी नियमों के अनुसार पैट्रोल पंप, सिनेमा, वाणिज्यिक हेतु संपरिवर्तन की जा चुकी है।
14. उक्त प्रकरण में कोई कैवियट नहीं है।

दिनांक ....2/4/18....

श्री उपखण्ड अधिकारी महोदय

हस्ताक्षर

राजस्व अहलमद

RAD स्टीक पेश होवे पर, T. जारी करे।

24/4/18

Scanned by CamScanner